

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 120/2017

उनवानी प्रकरण :-

रामअवतार पुत्र सालिगराम जाति गुर्जर निवासी गढी जखौदा तहसील बाडी जिला धौलपुर _____ अपीलान्त।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर _____ रेस्पोंडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.02.2017

नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 133/17

उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रामअवतार

अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से :- श्री रामवकील सिंह गुर्जर अभिभाषक।
2. रेस्पोंडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-22.11.2017

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 1801 मिन कुल रकवा 59 बीघा 1 विस्वा वाके ग्राम महुआखेडा तहसील बाडी में से 2 वीघा 10 विस्वा आराजी पर अपीलान्त ने कभी कोई कब्जा नहीं किया है ना ही वर्तमान में कोई अतिचार है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलान्त का 2 वीघा 10 विस्वा पर संवत 2072 से कब्जा व अतिचार है व संवत 2073 में पुनः सरसो वोकर अतिक्रमण किया है, गलत व निराधार है। हल्का पटवारी द्वारा बिना मौका देखे गलत तथ्य अंकित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.2.2017 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16.02.17, रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रति पेश की।

जिला कलक्टर,
धौलपुर



उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया है और भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोंडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, न ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा हटा लिया है। यदि अपीलान्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की

जिला कलक्टर
धौलपुर



सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत असल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलेक्टर
धौलपुर

